न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनिया)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 170/2024 जी0सी0एम0एम0 संख्या 2024/381

1. अन्नु कुमारी पत्नि गणेश जाति ढोली निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीयां

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री राहुल आचार्य प्रार्थी अधिवक्ता
पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 27.05.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बड़ली पटवार हल्का बड़ली, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चांपानेरी तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 438 में दर्ज खसरा संख्या 3527 रकबा 0.94 है0 किस्म नहरी–1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.94 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नं. 6613/3460 रकबा 17.35 हैक्ट0 किस्म बारानी–3 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 30 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 को जरिये नोटिस प्रकरण प्रेषित कर जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक भूमि खसरा संख्या 6613/3460 किस्म बारानी–3 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई। प्रकरण में जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश होने पर, प्राप्त जवाब मय मौका रिपोर्ट की एक प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करायी गई तथा पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 नियत की गई।

पत्रावली में बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय समक्ष निवेदन किया गया कि ग्राम बड़ली स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 438 में दर्ज खसरा संख्या 3527 रकबा 0.94 है0 किस्म नहरी–1 कुल प्रार्थी की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नं. 6613/3460 रकबा 17.35 हैक्ट0 किस्म बारानी–3 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम तथा उपयुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजीयात से चाहा गया रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार द्वारा जवाब मय रिपोर्ट अनुसार कथन किये गये। तत्पश्चात पैरोंकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3527 रकबा 0.94 है0 किस्म नहरी–1 में जाने हेतु रास्ता सिवायचन खसरा नं. 6613/3460 किस्म बारानी–3 में से होकर ही जाता है। तहसीलदार भिनाय द्वारा प्रकरण में 32 मीटर लम्बा तथा 9.15 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिस पर प्रार्थी द्वारा सहमति प्रकट की गई। पैरोकार सरकार द्वारा आगे निवेदन किया गया कि, प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए मांगा गया रास्ता सबसे निकटतम है, तथा इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त, प्रतिबन्धित श्रेणी का नही होना, तथा अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 तथा तहसीलदार भिनाय से प्राप्त जवाब मय मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, बहस पत्रावली पर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन तथा बहस में अवगत कराया है कि यह रास्ता वर्षो से चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए मांगा गया रास्ता सबसे निकटतम है, तथा इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त तथा अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः बाद अवलोकन तथा मनन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए अनुतोष होने से स्वीकार किया जाता है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की दुगुनी लागत कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। तहसीलदार भिनाय द्वारा ग्राम बड़ली की डी.एल.सी. दर 3,94,000/– रू. प्रति हैक्टेयर बताई गई है। अतः खसरा नं. 6613/3460 में से 293 वर्ग मीटर (32 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 39.40 रू. प्रति वर्ग मीटर की दुगुनी राशि 23090/– रू मुकर्रर की जाती हैं। प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा कराई जावे। प्रार्थी खातेदार के लिए ग्राम बड़ली पटवार हल्का बड़ली, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चांपानेरी तहसील भिनाय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं. 6613/3460 में

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

से 293 वर्ग मीटर भूमि से, प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 3527 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शें में आदेश में वर्णित रास्ते की नियमानुसार तरमीम कर इस खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय
भिनाय (अजमेर)